

**ग्राम पंचायत टुंडी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के
लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2021 से 03/2023**

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत टुंडी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों का अंकेक्षण कार्य राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत थे:-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री पवन कुमार	01-04-2021 से 31-03-2023

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री कुलदीप सिंह	01-04-2021 से 22-06-2021
2.	श्री अर्जुन	23-06-2021 से 31-03-2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत टुंडी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	5	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	0.40
2	6.1	विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान का अवरोधन।	18.18

3	7.1	पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया की वसूली न करने बारे	0.65
4	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने बारे	0.09
5	8.2	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना X-फॉर्म के क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि।	0.87
6	8.3	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर की सम्भावित वित्तीय हानि बारे।	0.58
7	9.1	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे	2.70
8	9.2	सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्ट्रों का संधारण नियमानुसार न करने बारे	1.69
9	9.3	मस्ट्रोनों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे।	0.49
10	9.4	अनुमोदित दरों से अधिक का भुगतान करने बारे	0.06

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

ग्राम पंचायत टुंडी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि०प्र०) से सम्बन्धित गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या 2023-24/ GP TUNDI /GP TUNDI/01 दिनांक 16-03-2024 द्वारा अवगत करवाया गया। तदोपरांत पुन अंकेक्षण अध्याचना संख्या 2023-24/ GP TUNDI /02 दिनांक 18-03-2024 द्वारा अवगत करवाया गया। जिसमें सचिव द्वारा उत्तर दिया गया कि उक्त अनिर्णीत पैरों के उपर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस प्रकार से गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पर कार्यवाही न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है; अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है अतः उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये। अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2016 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ₹5000/- की प्राप्ति के उपरान्त
2.	4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।

3.	4.1(i)	अनिर्णीत	
4	4.1(ii)	अनिर्णीत	
5.	5	अनिर्णीत	
6.	6	अनिर्णीत	
7.	7	अनिर्णीत	
8.	8	अनिर्णीत	
9.	9	अनिर्णीत	
10.	10	अनिर्णीत	
11	11	अनिर्णीत	
12	12	अनिर्णीत	

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत टुंडी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15-03-2024 से 21-03-2024 तक ग्राम पंचायत टुंडी के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2021-22	11/2021	11/2021
2	2022-23	08/2022	05/2022

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु राज्य लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत टुंडी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 (हि०प्र०) को

शीघ्रअतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/2023-24/GP TUNDI/11
दिनांक-21-03-2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत टुंडी से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत टुंडी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 (अ) स्वः-स्रोतों व अनुदान

ग्राम पंचायत टुंडी के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक स्वः-स्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 व 2 में भी दिया गया है।

1. स्वः-स्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	आय	योग	व्यय	अंतिम शेष
2021-22	543996	270983	814979	152553	662426
2022-23	662426	245611	908037	331869	576168

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	आय	योग	व्यय	अंतिम शेष
2021-22	1980349	8318275.4	10298624.4	8451565.1	1847059.3
2022-23	1847059.3	7978165.3	9825224.6	8006243.3	1818981.3

कुल योग (1 + 2) = ₹576168+₹1818981.3= ₹2395149.3

(ब) ग्राम पंचायत टुंडी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि.प्र.)

दिनांक 31/03/2023 को बैंक खातों में अन्तःशेष का विवरण

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	अनुदान का नाम	राशि
				31-03-2023
1.	19310101185	HPSCo-Op bank Tundi	Sabha Fund	265703.55
2.	19310101573	HPSCo-Op bank Tundi	SBM/SDP/ICDS/5th SFC /SF	654863.00
3.	19310107703	HPSCo-Op bank Tundi	5th SFC	46399.00
4.	19310104285	HPSCo-Op bank Tundi	14TH FC	0
5.	50100373714531,	HDFC Dalhousie	15TH FC	1387908.30
			cash in hand	0
			कुल योग	2354873.85

अन्तर (ब-अ) ₹2395149.3-₹2354873.85= ₹40275.45

4.2 उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही व बैंक पासबुक में दिनांक 31-03-2023 को राशि ₹40275.45 का अन्तर **ग्राम पंचायत द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण था**। जिसका मिलान अतिशीघ्र किया जाये।

5 **बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹0.40 लाख का अन्तर :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत टुंडी द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002, के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि 31-03-2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹40275.45 का अन्तर **परिशिष्ट - 3** अनुसार रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-2023-24/GP TUNDI/10, दिनांक 21-03-2024 द्वारा पंचायत सचिव को स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि; " भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।"

अतः भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.1 **विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹18.18 लाख का अवरोधन :-**

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 3** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹ **1818981.3** की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-2023-24/ GP TUNDI /10 दिनांक 21.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत टुंडी के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके

प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।"

अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के आदेशों की प्रति/पत्र अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध न करवाने बारे :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियाँ अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान किस उद्देश्य /कार्य विशेष हेतु प्राप्त किये गए हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 10 दिनांक 21-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत को अनुदान आदेशों की प्रति/पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप से अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त प्रकरण को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.65 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत टुंडी के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पत्ति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पत्ति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित **₹65840.00** की राशि वसूली हेतु शेष थी।

31-03-2023 को गृह कर बकाया राशि का विवरण

क्र० स०	वित्तीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति परिवार/)र(	वर्ष के दौरान माँग (र)	कुल योग (र)	वर्ष के दौरान वसूली (र)	वसूली हेतु शेष बकाया राशि (र)
1.	2021-22	73440	590	50	29500	102940	47500	55440
2.	2022-23	55440	665	50	33250	88690	22850	65840

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 03 दिनांक 18-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पत्ति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क व विलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹ 9175/-की वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) तदोपरान्त ₹400 (30 से 90 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹50 (30 से 90 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, **परिशिष्ट - 4** अनुसार उक्त पंचायत सचिव द्वारा वर्ष 2021-22, 2022-23 के विवाह पंजीकरण रजिस्टर में विवाह पंजीकरण शुल्क की विलम्ब शुल्क की वसूली की गई थी किन्तु सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण सरकार को राशि ₹9175/- की वित्तीय हानि हुई। तथा विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था

इस सम्बन्ध में जारी अध्याचना संख्या- 04 दिनांक 18-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि “विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली गई है तथा जिसे जमा कर दिया जायेगा।” अतः उपरोक्त राशि को सम्बन्धित सरकारी खाते/कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा इसके अतिरिक्त पूर्व में जमा विवाह शुल्क जोकि सभा निधि में है उसकी गणना करके उसे भी सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत टुंडी के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 10 दिनांक 21-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना X-फॉर्म के क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर पर राशि ₹1.07 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि।

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोर्टेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से अनापति प्रमाण पत्र X-फॉर्म प्राप्त कर सम्बन्धित पंचायत को देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग चम्बा के पत्र संख्या 902 दिनांक 18-02-2022 के अंतर्गत समस्त विकास खण्ड कार्यालयों को संशोधित मूल्य अनुसार रॉयल्टी काटने के आदेश जारी किये गए थे। तथा इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा अखबार में प्रकाशित की गई निविदाओं में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनापति प्रमाण पत्र फॉर्म -M/X उपलब्ध न करवाने की दशा में अपेक्षित रॉयल्टी की कटौती हेतु कहा गया था।

परन्तु ग्राम पंचायत टुंडी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णतः अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से न तो कोई अत्रापति प्रमाण पत्र/X-फॉर्म लिया गया और न ही रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती की गई। जिससे कि सरकार को राशि ₹87209/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "5" में दिया गया है।) की संभावित वित्तीय हानि हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2023-24/ GP Tundi /06 दिनांक 21-03-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि उक्त क्रय सामग्री हेतु रॉयल्टी की कटौती समबन्धित संविदाकरणों से करके एवं उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं आगामी भविष्य में X फॉर्म न होने की स्थिति में नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जायेगी एवं उसे समयबन्ध सरकारी कोष में भी जमा करवा दिया जायेगा।

अतः उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव प्रतीत हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अतः इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्यवाही/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.58 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता का GST धारक होने की दशा में निविदाएं स्वीकृत की गई थी अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹1230086/- का भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "5" में दिया गया है।) किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके सादे कागज़ पर कर दिया गया है। तथा आपूर्तिकर्ता रेत, बजरी एवं पत्थर में इत्यादि का धारक न होकर अन्य वस्तुओं व सेवाओं हेतु पंजीकृत था इसके अतिरिक्त सरकार को देय कर के साक्ष्य/ चालान भी नहीं पाए गये जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रामाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में

सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹55986/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 06 दिनांक 21-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST कटौती बारे आपूर्तिकर्ताओं से स्पष्टीकरण लेकर यथाशीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर स्पष्ट एवं तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रसीदों पर ही अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि ऐसे प्रकरणों की गहन जाँच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजनिक धन के दुरुूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

9.1 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹2.70 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली, 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें, कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹270180/-** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के

सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, तथा इसके अतिरिक्त उक्त भुगतान प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना किये गये जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND	PARTICULAR/ DETAIL OF PARTY	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT (₹)
1	02/01.06.21	SF	DEVAL STATIONARY & COMMUNICATION	STATIONARY	3000
2	41/23.11.21	ICDS	RAM ELECTRICAL WORKS TUNDI	ELECTRICAL GOODS	8750
3	45-46/23.11.21	ICDS	SANJU FURNTURE HOUSE	HARDWARE GOODS	24300
4	46/24.11.21	SDP	M/S JARYAL HARDWARE STORE	HARDWARE GOODS	26414
5	47/24.11.21	SDP	M/S JARYAL HARDWARE STORE	HARDWARE GOODS	45306
6	04/11.04.22	SF	NARENDER COMMUNICATION PO KHARGAT	STATIONARY	4950
7	8/23.05.22	SF	SANJU FURNTURE HOUSE	HARDWARE GOODS	24090
8	8/23.05.22	SF	SANJU FURNTURE HOUSE	HARDWARE GOODS	24090
9	24/04.05.22	15TH FC	BALOURIA COMPUTER SERVICE CHOWARI	PRINTER	15500
10	29/05.05.22	15TH FC	M/S DEENU ELECTRONICS MAIN BAZAR SAMOT	WATER COOLER	27000
11	30/05.05.22	15TH FC	M/S DEENU ELECTRONICS MAIN BAZAR SAMOT	WATER COOLER	27000
12	25/04.05.22	15TH FC	PARAMJEET CONSTRUCTION WORKS TUNDI	SHUTTRING	14820
13	26/04.05.22	15TH FC	PARAMJEET CONSTRUCTION WORKS TUNDI	SHUTTRING	24960
				TOTAL	270180

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 21-03-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव, ग्राम पंचायत टुंडी के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि

उपरान्त कहा गया कि भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अतः इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.2 राशि ₹1.69 लाख के सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्ट्रों का संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है, परिदान के समय, उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹169650/-के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नहीं की गई थी

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND	PARTICULAR/ DETAIL OF PARTY	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT (₹)
1	02/01.06.21	SF	DEVAL STATIONARY & COMMUNICATION	STATIONARY	3000
2	41/23.11.21	ICDS	RAM ELECTRICAL WORKS TUNDI	ELECTRICAL GOODS	8750
3	41/23.11.21	ICDS	RAM ELECTRICAL WORKS TUNDI	ELECTRICAL GOODS	8750
4	45-46/23.11.21	ICDS	SANJU FURNTURE HOUSE	HARDWARE GOODS	24300
5	46/24.11.21	SDP	M/S JARYAL HARDWARE STORE	HARDWARE GOODS	26414

6	47/24.11.21	SDP	M/S JARYAL HARDWARE STORE	HARDWARE GOODS	45306
7	04/11.04.22	SF	NARENDER COMMUNICATION PO KHARGAT	STATIONARY	4950
8	8/23.05.22	SF	SANJU FURNTURE HOUSE	HARDWARE GOODS	24090
9	8/23.05.22	SF	SANJU FURNTURE HOUSE	HARDWARE GOODS	24090
				TOTAL	169650

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या 2023-24/ GP Tundi /09 दिनांक 21.03.2024 द्वारा, सचिव को अवगत करवाया गया। इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा कि भविष्य में उक्त अनियमितता को नहीं दोहराया जायेगा।

अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.3 राशि ₹0.49 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत टुंडी के लेखों की नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार कुल राशि ₹49018/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतर्कता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का

होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान कर दिया गया था जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।

Muster Roll No	CB Page No /Date	Amount (₹)	Discription Of Item	Head	Name of Work
NIL	16/29	24298	labour payment	sf	repair rasta sadan to barfiram house
21987	48/72	24720	labour payment	5th sfc	rain shed shamshan ghat bhalet
	Total	49018			

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 08 दिनांक 21-03-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, ग्राम पंचायत टुंडी के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्यवाही से अवगत करवा दिया जायेगा।" अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.4 निर्माण सामग्री के क्रय में राशि ₹0.06 लाख का अनुमोदित दरों से अधिक भुगतान बारे :-

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के विकासात्मक कार्यों हेतु सामग्री के क्रय करने हेतु भिन्न-भिन्न आपूर्तिकर्ता से कुटेशन आमन्त्रित की गई थी

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की ग्राम पंचायत द्वारा कम निविदा दर वाले आपूर्तिकर्ता से क्रय किया गया था किन्तु आपूर्तिकर्ता को निम्नलिखित विवरण अनुसार बिल के भुगतान करते समय अधिक दर से भुगतान किया गया था जोकि अनुमोदित दरों से अधिक थी जिसकी अदायगी के कारण पंचायत को वित्तीय हानि हुई जिससे कि न केवल निविदायें आमंत्रित करने का उद्देश्य निरर्थक हुआ अपितु अनुचित /अधिक भुगतान भी सम्बन्धित फर्म/आपूर्तिकर्ता को हुआ।

					as per bill			as per quotation			
SR. No	Voucher No./Date	Name of Fund	Particular/Detail Of Party	Discription Of Item	Qty	rate	amount	Qty	rate	amount	excess
1	43/21.07.22	15th fc	paramjeet const. works	shuttring	200	40	8000	200	26	5200	2800
2	47/21.07.22	15th fc	sushil singh	shuttring	125	40	5000	125	26	3250	1750
3	396/21.03.22	15th fc	sushil singh	shuttring	152	40	6080	152	26	3952	2128
								total			6678

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण के दौरान ही इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10, दिनांक -21.03.2024 द्वारा, सचिव को अवगत करवाया गया तथा इसके सम्बन्ध में सचिव के द्वारा उत्तर दिया गया कि नियमानुसार उक्त राशि पूर्तिकर्ताओं से वसूली जानी अपेक्षित रहेगी तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति को नहीं दोहराया जायेगा।

अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा की गई अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.5 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 21-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेंगे। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत टुंडी के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़ बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए हैं और न ही ऑनलाइन रोकड़ बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जिससे कि पंचायत की वित्तीय स्थिति में अथशेष पंचायत द्वारा बनाई गई परीक्षा संतुलन सूची से लिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अध्याचना संख्या-10, दिनांक 21-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि भविष्य में रोकड़ बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़ बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में ₹7.02 लाख के अन्तर बारे

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYAT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्ट्रों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYAT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेयर में बनाये गए थे वह मैनुअल रोकड़बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते। फलस्वरूप दिनांक 31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों में निम्नविवरणानुसार राशि ₹702603.00 का अन्तर पाया गया।

31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों संधारित लेखों (रोकड़ बही) में अन्तशेष	
31-03-2023 को PRIYASOFT में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹2535002.00
31-03-2023 को पंचायत द्वारा मैनुअल संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹2395149.3

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि: पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं जोकि उक्त नियमों के स्पष्ट अवहेलना है। इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अध्याचना संख्या 2023-24/ GP TUNDI /10 दिनांक 21.03.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अन्तर का मिलान कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं है क्योंकि PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है।

अतः दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10.3 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-23 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे 5th स्टेट, के साथ एक ही बैंक खाता एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 10 दिनांक 21-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत टुंडी द्वारा सूचित किया कि पंचायत के स्व-स्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 पंचायत द्वारा ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्राप्ति एवं भुगतान इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न अभिलेख जैसे ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्राप्ति एवं भुगतान इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण इस विभाग के ऑडिट कोड में वर्णित पंचायत के उक्त अभिलेखों को प्रमाणित नहीं क्या जा सका।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 01 दिनांक 16-03-2024 तथा अंकेक्षण अध्याचना संख्या 10 दिनांक 21.03.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत टुंडी द्वारा सूचित किया कि पंचायत उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उक्त अभिलेखों को वर्तमान में प्रस्तुत करना था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.5 महत्वपूर्ण रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)	अपूर्ण
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
6.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
7.	निर्माण कार्य रजिस्टर	-----	103	संधारित नहीं
8.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
9.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
10.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
11.	मनरेगा रजिस्टर	16 से 22	10.3.1 से 3.9	अपूर्ण
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

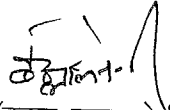
इस बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या-10, दिनांक 21-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि "भविष्य में विहित रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।" अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत टुंडी की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरुपयोग की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या-10 दिनांक 21-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।
- 13 **निष्कर्ष:-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्यवाही न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजनिक धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके।


(कृष्ण लाल नेगी) 1.7.24

सहायक निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग

शिमला-171009

दूरभाष-0177-2626670

3055-3059

का०/प्रति

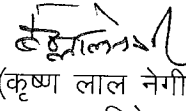
01 JUL 2024

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 01/2016 खण्ड-1 दिनांक शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हि0प्र0।
- 5 सचिव, ग्राम पंचायत टुण्डी, विकास खण्ड भटियात जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

पंजीकृत


(कृष्ण लाल नेगी) 1.7.24

सहायक निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग

शिमला-171009

दूरभाष-0177-2626670

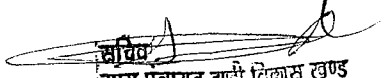
का०/प्रति

Financial Position of Own Sources in r/o			" GP TUNDI "	Dev. Block "BHATTIYAT" Distt Chamba H.P	
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	543996	270983	814979	152553	662426
2022-23	662426	245611	908037	331869	576168

सचिव
ग्राम पंचायत दुण्डा विकास खण्ड
भटियात जिला चम्बा हि० प्र०

प्रतिशित - २ पैरा संख्या ५ (क) १. के मेमर जे

Financial Position of Grant in Aid in r/o GP Tundi D.B Bhattiyat Tehsil Chowari Distt Chamba H.P					
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
021-22	1980349	8318275.4	10298624.4	8451565.1	1847059.3
022-23	1847059.3	7978165.3	9825224.6	8006243.3	1818981.3


सचिव
ग्राम पंचायत टुण्डी विकास खण्ड
भटियात जिला चम्बा हि० प्र०



परिशिष्ट-3 पैरा संख्या 4. (क) 2 के संदर्भ में
पैरा संख्या 6.1 के संदर्भ में
पैरा संख्या 5 के संदर्भ में

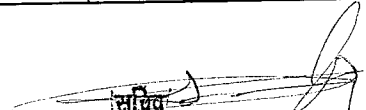
Grant in aid in r/o Gram Panchayat		" GP TUNDI "	Dev. Block BHATTIYAT	Distt Chamba HP-176207	Year Ended	2021-22
Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5 TH FC	512264	854099	1366363	803524	562839
2	SBM	0	200000	200000	200000	0
3	SDP	0	399858	399858	351145	48713
4	ICDS	24159	44040	68199	68199	0
5	15 FC	484152	1189219	1673371	450094.7	1223276.3
6	14 TH FC	959774	28655	988429	976198	12231
7	MGNREGA	0	5602404.4	5602404.4	5602404.4	0
	Total	1980349	8318275.4	10298624.4	8451565.1	1847059.3
Grant in aid in r/o Gram Panchayat		" GP TUNDI "	Dev. Block Bhattiyat	Distt Chamba HP-176207	Year Ended	2022-23
1	5TH	562839	414314	977153	716201	260952
2	SBM	0	0	0	0	0
3	SDP	48713	419906	468619	298498	170121
4	ICDS	0	0	0	0	0
5	15TH FC	1223276.3	1453783	2677059.3	1289151	1387908.3
6	14th fc	12231	29	12260	12260	0
7	MMSKY	0	67500	67500	67500	0
8	MNREGA	0	5622633.3	5622633.3	5622633.3	0
	Total	1847059.3	7978165.3	9825224.6	8006243.3	1818981.3
	Balance as Per Bank on 31.03.23					0
A/c No	Branch	Head				
1 19310101185	HPSCo-Op bank Tundi	Sabha Fund				265703.55
2 19310101573	HPSCo-Op bank Tundi	SBM/SDP/ICDS/5th SFC				654863
3 19310107703	HPSCo-Op bank Tundi	5th SFC				46399
4 19310104285	HPSCo-Op bank Tundi	14TH FC				0
5 50100373714531,	HDFC Dalhousie	15TH FC				1387908.3
	Cash In Hand					0
	Total					2354873.85
1	Cash Book Balance on 31.03.2023 (Own Source)					576168
2	Cash Book Balance on 31.03.2023	5TH				260952
3	Cash Book Balance on 31.03.2023	SBM				0
4	Cash Book Balance on 31.03.2023	SDP				170121
5	Cash Book Balance on 31.03.2023	ICDS				0
6	Cash Book Balance on 31.03.2023	15TH FC				1387908.3
7	Cash Book Balance on 31.03.2023	14th fc				0
8	Cash Book Balance on 31.03.2023	MMSKY				0
		Total				2395149.3
				Difference		40275.45
Note :- 1 online cash book not produced in audit						
2. Opening Balance & Closing Balance Not Taken in General Manual Cash Book. So opening balances taken from Bank Pass book						
3. Progressive Total Not Taken in Mannual Cash Book						
4.Mnrega cash book not maintained so income and expenditure taken from mnrega financial position						

गाम पंचायत दुण्डी विकास खण्ड
भटियात जिला चम्बा हि० प्र०

कायालय ग्राम पंचायत टुंडी
विकास खंड भटियात जिला चम्बा हिप्र
शादी पंजीकरण ग्राम पंचायत टुंडी

क्रम संख्या	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशी	वसूल की गयी राशी	सरकारी कोष में जमा न की गयी राशि
1	2	कौशल कुमार सपुत्र गिरधारी गाँव व डाकघर टुंडी	15-03-2021	01-04-2021	200	200	200
2	3	किशोर कुमार सपुत्र विक्रम गाँव मोहरी डाकघर टुंडी	30-04-2021	01-06-2021	400	400	400
3	4	संजय कुमार सपुत्र चैन सिंह गाँव मोहरी डाकघर टुंडी	18-07-2021	05-08-2021	200	200	200
4	5	विजय कुमार सपुत्र संजय कुमार गाँव चौन्लू डाकघर	28-07-2021	06-08-2021	25	25	25
5	6	अनिल कुमार सपुत्र दौलत राम गाँव बनोली डाकघर टुंडी	17-09-2021	05-09-2021	200	200	200
6	7	विककी सपुत्र बाबु राम गाँव बारा डाकघर टुंडी	18-09-2021	15-10-2021	25	25	25
7	8	अमित शर्मा सपुत्र अश्वनी कुमार गाँव व डाकघर टुंडी	12-10-2021	02-11-2021	200	200	200
8	9	ओम प्रकाश सपुत्र बाबु राम गाँव सियाद्रमण	08-10-2021	02-11-2021	200	200	200
9	10	अरुण जरयाल सपुत्र प्रकाश चंद गाँव मेहली डाकघर टुंडी	08-10-2021	02-11-2021	200	200	200
10	11	दिनेश महाजन सपुत्र विजय कुमार गाँव टुंडी	13-10-2021	02-11-2021	200	200	200
11	12	कुश निवेश सपुत्र राजेंद्र प्रसाद गाँव व डाकघर टुंडी	07-10-2021	02-11-2021	200	200	200
12	13	लखवीर सिंह सपुत्र बचन लाल गाँव बारा डाकघर टुंडी	12-11-2021	24-11-2021	200	200	200
13	14	सुनील कुमार सपुत्र चमन सिंह गाँव बनोली डाकघर टुंडी	12-11-2021	29-11-2021	200	200	200
14	15	वरुण शर्मा सपुत्र रमेश चंद गाँव व डाकघर टुंडी	18-08-2021	30-11-2021	400	400	400
15	16	शशि पाल सपुत्र तरवीज सिंह गाँव भारोरी डाकघर टुंडी	22-11-2021	09-12-2021	200	200	200
16	17	अमन कुमार सपुत्र बिरला कुमार गाँव व डाकघर टुंडी	01-12-2021	14-12-2021	200	200	200
17	18	विजय सिंह सपुत्र मदन लाल गाँव बाघ डाकघर टुंडी	22-11-2021	14-12-2021	200	200	200
18	19	सनी कुमार सपुत्र दौलत राम गाँव बनोली डाकघर टुंडी	01-12-2021	20-12-2021	200	200	200
19	20	सुरजीत सिंह सपुत्र विक्रम गाँव मेहली डाकघर टुंडी	01-12-2021	24-12-2021	200	200	200
20	21	विककी सपुत्र तरवीज सिंह गाँव कुठियाला डाकघर टुंडी	13-12-2021	30-12-2021	200	200	200
21	22	पंकज कुमार सपुत्र रंगील राम गाँव व डाकघर टुंडी	01-12-2021	30-12-2021	200	200	200
22	23	दीपक कुमार सपुत्र रंगीला गाँव व डाकघर टुंडी	12-12-2021	30-12-2021	200	200	200
23	24	राहुल सपुत्र प्रदीप गाँव चौन्लू डाकघर टुंडी	13-12-2021	30-12-2021	200	200	200
24	1	तेज सिंह सपुत्र विक्रम सिंह गाँव कूट डाकघर टुंडी	12-12-2021	11-01-2022	25	25	25
25	2	सूरज सिंह सपुत्र बलदेव सिंह गाँव मोहरी डाकघर टुंडी	14-12-2021	11-01-2022	200	200	200
26	3	सुरेश कुमार सपुत्र मनी राम गाँव कूट डाकघर टुंडी	12-12-2021	20-01-2022	50	50	50

27	4	काजल पुत्री प्यार सिंह गाँव बाड़ी डाकघर टुंडी	05-02-2022	14-02-2022	25	25	25
28	5	कुलदीप सपुत्र धनि राम गाँव व डाकघर	23-01-2022	18-02-2022	200	200	200
29	6	पवन कुमार सपुत्र जरम सिंह गाँव बनोली डाकघर टुंडी	04-02-2022	23-02-2022	200	200	200
30	7	रोकी सपुत्र जीवन कुमार गाँव बनोली डाकघर टुंडी	10-02-2022	05-03-2022	25	25	25
31	8	सुरेन्द्र कुमार सपुत्र देश राज गाँव भराडी डाकघर टुंडी	20-02-2022	16-03-2022	200	200	200
32	9	पंकज सपुत्र नकुल गाँव बनोली डाकघर टुंडी	20-02-2022	16-03-2-22	200	200	200
33	10	अंकुश कुमार सपुत्र श्री वेद प्रकाश गाँव डाकघर टुंडी	19-02-2022	18-03-2022	200	200	200
34	11	अनिल कुमार सपुत्र मंगत राम गाँव कुरला डाकघर टुंडी	07-02-2022	18-03-2022	50	50	50
35	12	अजय कुमार सपुत्र श्री नारायण सिंह गाँव भराडी डाकघर टुंडी	24-01-2022	18-04-2022	400	400	400
36	13	अमन कुमार सपुत्र श्री जगदीश चन्द गाँव बनोली डाकघर टुंडी	13-04-2022	04-05-2022	200	200	200
37	14	रमन सिंह गाँव बनोली डाकघर टुंडी	13-04-2022	05-05-2022	200	200	200
38	15	विजय कुमार सपुत्र श्री करतार सिंह गाँव कूट डाकघर टुंडी	24-04-2022	09-05-2022	200	200	200
39	16	अविनाश कुमार सपुत्र अमर सिंह	21-04-2022	11-05-2022	200	200	200
40	17	विजय कुमार सपुत्र छोटू राम	21.06.2022	13.07.2022	200	200	200
41	18	जगरूप सपुत्र रोशन लाल	20.06.2022	28.07.202	25	25	25
42	19	मनोज कुमार सपुत्र बफी राम गाँव वाडी	24.06.2022	5.08.2022	25	25	25
43	20	कुलदीप सपुत्र नेक राज गाँव वाडी	30.07.2022	27.08.2022	25	25	25
44	21	अक्षय कुमार सपुत्र निक्कू राम गाँव वाडी	27.09.2022	11.10.2022	25	25	25
45	22	आशीष कुमार सपुत्र चैन सिंह गाँव धारणा	27.09.2022	15.10.2022	200	200	200
46	23	महमूद आसिफ गाँव व डाक घर टुंडी	11.12.2022	16.12.2022	200	200	200
47	24	तारा सिंह सपुत्र दीवान सिंह गाँव वाग	04.12.2022	17.12.2022	25	25	25
48	25	शाम लाल सपुत्र लक्ष्मण गाँव छोटलू	09.12.2022	20.12.2022	200	200	200
49	26	तरवीज सपुत्र बलवान गाँव धारणा	02.12.2022	23.12.2022	200	200	200
50	27	कुलदीप सिंह सपुत्र बलवान गाँव धारणा	09.12.2022	11.01.2023	200	200	200
51	28	नेतेश चौहान सपुत्र नरिंदर गाँव टुंडी	04.12.2022	11.01.2023	200	200	200
52	1	भूपेन्द्र सपुत्र परस राम गनाव वाडी	28.01.2023	20.02.2023	200	200	200
53	2	राकेश कुमार सपुत्र करनेल सिंह गाँव भराडी	22.02.2023	18.03.2023	200	200	200
54	3	अनूप कुमार सपुत्र रोशन गाँव लोगनी	16.02.2023	18.03.2023	25	25	25
					9175	9175	9175


 सचिव
 ग्राम पंचायत टुंडी विकास खण्ड
 भटियात जिला चम्पा हि० प्र०

GRAM PANCHAYAT "TUNDI" DEV. BLOCK BHATTIYAT, DISTT CHAMBA

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER FROM WHICH ROYALTY & GST NOT PAID/DEDUCTED AND PAYMENT MADE WITHOUT JOINT SIGN

01-04-2021 TO 31-03-2023

SR.	NAME OF VENDER/	GRANTS/	VOUCHER/BILL	NAME OF	QTY.	QTY.	RATE OF	ROYLITY	AMOUNT	AMOUNT TO BE PAID	GST NOT DEPOSITED /PAID
NO.	SUPPLIER	HEAD	DATE	MATERIAL	M3	TONNE	ROYALTY	NOT PAID	PAID		
1	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	GEN	32/4.10.2021	SAND	4.5	7.3	60	437.4	7200.0	6857.142857	342.9
2	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	GEN	35/16.10.2021	SAND	5.6	9.0	60	541.4	8912.0	8487.619048	424.4
3	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	GEN	35/16.10.2021	AGG	6.0	9.1	60	547.2	8400.0	8000	400.0
4	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	GEN	59/27.12.2021	SAND	6	9.7	60	583.2	9600.0	9142.857143	457.1
5	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	14TH FC	1/9.9.2021	SAND	6.0	9.7	60	583.2	9600.0	9142.857143	457.1
6	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	14TH FC	10/27.12.2021	AGG	15	22.8	60	1368.0	21000.0	20000	1000.0
7	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	14TH FC	10/27.12.2021	SAND	15.0	24.3	60	1458.0	24000.0	22857.14286	1142.9
8	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	14TH FC	14/27.12.2021	AGG	15.0	22.8	60	1368.0	21000.0	20000	1000.0
9	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	14TH FC	14/27.12.2021	SAND	15	24.3	60	1458.0	24000.0	22857.14286	1142.9
10	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	14TH FC	17/28.12.2021	AGG	10.0	15.2	60	912.0	14000.0	13333.33333	666.7
11	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	14TH FC	17/28.12.2021	SAND	10.0	16.2	60	972.0	16000.0	15238.09524	761.9
12	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	SABHA NIDHI	13/26.10.2021	AGG	3.0	4.5	60	270.0	4144.0	3946.666667	197.3
13	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	SABHA NIDHI	13/26.10.2021	SAND	2.2	3.6	60	217.7	3584.0	3413.333333	170.7
14	SUSHIL KUMAR S/O JARAM SINGH	SABHA NIDHI	15/26.10.2021	STONE	4.0	9.0	60	540.0	5600.0	5333.333333	266.7
15	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	15TH FC	31/22.3.2022	SAND	3.0	4.8	60	287.7	4736.0	4510.47619	225.5
16	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	15TH FC	31/22.3.2022	AGG	5.6	8.5	60	511.6	7854.0	7480	374.0
17	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	15TH FC	33/22.3.2022	SAND	6.7	10.8	60	648.3	10672.0	10163.80952	508.2
18	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	15TH FC	33/22.3.2022	AGG	2.2	3.4	60	201.6	3094.0	2946.666667	147.3
19	Tilak raj PO Tundi	murega	48/20.08.20	stone	4.2	6.7	60	403.4	4980.0	4742.9	237.1
20	Susheel Singh Po Tundi	murega	161/9/7/2021	stone	4.2	6.7	60	403.4	4980.0	4742.9	237.1
21	Susheel Singh Po Tundi	murega	162/9/7/2021	stone	4.2	6.8	60	408.2	4980.0	4742.9	237.1
22	Susheel Singh Po Tundi	murega	163/9/7/2021	stone	4.2	6.8	60	408.2	4980.0	4742.9	237.1
23	Susheel Singh Po Tundi	murega	171/13/7/2021	stone	4.2	6.7	60	403.4	4980.0	4742.9	237.1
24	Susheel Singh Po Tundi	murega	172/13/7/2021	stone	4.2	6.7	60	403.4	4980.0	4742.9	237.1
25	Susheel Singh Po Tundi	murega	17/13/7/2021	stone	4.2	6.8	60	408.2	4980.0	4742.9	237.1
26	Susheel Singh Po Tundi	murega	174/13/7/2021	stone	4.2	6.8	60	408.2	4980.0	4742.9	237.1
27	Jariyal goods Carrier PO Tundi	murega	502/19/8/2021	Aggregate	20.0	32.4	60	1944.0	28000.0	26666.7	1333.3
28	Jariyal goods Carrier PO Tundi	murega	502/19/8/2021	Sand	11	17.8	60	1069.2	17600.0	16761.9	838.1
29	Susheel Singh Po Tundi	murega	199/13/8/2021	stone	3.3	5.4	60	322.7	4980.0	4742.9	237.1
30	Susheel Singh Po Tundi	murega	200/13/8/2021	stone	3.3	5.3	60	320.8	4980.0	4742.9	237.1
31	Susheel Singh Po Tundi	murega	201/13/8/2021	stone	3.3	5.3	60	320.8	4980.0	4742.9	237.1
32	Susheel Singh Po Tundi	murega	204/23/8/2021	stone	3.3	5.3	60	320.8	4980.0	4742.9	237.1
33	Susheel Singh Po Tundi	murega	205/23/8/2021	stone	3.3	5.3	60	320.8	4980.0	4742.9	237.1
34	Susheel Singh Po Tundi	murega	206/23/8/2021	stone	3.3	5.3	60	320.8	4980.0	4742.9	237.1
35	Susheel Singh Po Tundi	murega	175/23/7/2021	stone	4.2	6.7	60	403.4	4980.0	4742.9	237.1
36	Susheel Singh Po Tundi	murega	176/23/7/2021	stone	4.2	6.8	60	408.2	4980.0	4742.9	237.1
37	Susheel Singh Po Tundi	murega	177/23/7/2021	stone	4.2	6.8	60	408.2	4980.0	4742.9	237.1
38	Susheel Singh Po Tundi	murega	178/23/7/2021	stone	4.2	6.8	60	408.2	4980.0	4742.9	237.1
39	Susheel Singh Po Tundi	murega	179/23/7/2021	stone	4.2	6.8	60	408.2	4980.0	4742.9	237.1
40	Jariyal goods Carrier PO Tundi	murega	601/22/9/2021	Aggregate	10.0	16.2	60	972.0	14000.0	13333.3	666.7
41	Jariyal goods Carrier PO Tundi	murega	601/22/9/2021	Sand	6.5	10.5	60	631.8	10400.0	9904.8	495.2
42	Tilak raj PO Tundi	murega	181/9/8/2021	stone	4.2	6.8	60	408.2	4980.0	4742.9	237.1
43	Tilak raj PO Tundi	murega	182/9/8/2021	stone	4.2	6.8	60	408.2	4980.0	4742.9	237.1
44	Tilak raj PO Tundi	murega	183/9/8/2021	stone	4.2	6.8	60	408.2	4980.0	4742.9	237.1
45	Tilak raj PO Tundi	murega	184/9/8/2021	stone	4.2	6.8	60	408.2	4980.0	4742.9	237.1
46	Tilak raj PO Tundi	murega	185/9/8/2021	stone	4.2	6.7	60	403.4	4980.0	4742.9	237.1
47	Tilak raj PO Tundi	murega	186/9/8/2021	stone	4.2	6.8	60	408.2	4980.0	4742.9	237.1
48	Jariyal goods Carrier PO Tundi	murega	197/7/8/2021	Aggregate	15.0	24.3	60	1458.0	21000.0	20000.0	1000.0
49	Jariyal goods Carrier PO Tundi	murega	197/7/8/2021	Sand	15.0	24.3	60	1458.0	24000.0	22857.1	1142.9
50	Jariyal goods Carrier PO Tundi	murega	236/22/9/2021	Aggregate	35.0	56.7	60	3402.0	49000.0	46666.7	2333.3
51	Jariyal goods Carrier PO Tundi	murega	237/22/9/2021	Sand	15.0	24.3	60	1458.0	21000.0	20000.0	1000.0
52	Jariyal goods Carrier PO Tundi	murega	237/22/9/2021	aggregate	15.0	24.3	60	1458.0	24000.0	22857.1	1142.9

25

53	Susheel Singh Po Tundi	mnrega	168/13/7/2021	stone	4.2	6.8	60	408.2	4980.0	4742.9	237.1
54	Susheel Singh Po Tundi	mnrega	169/13/7/2021	stone	4.2	6.8	60	408.2	4980.0	4742.9	237.1
55	Susheel Singh Po Tundi	mnrega	170/13/7/2021	stone	4.2	6.8	60	408.2	4980.0	4742.9	237.1
56	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	603/22/9/2021	Aggregate	17.5	28.4	60	1701.0	24500.0	23333.3	1166.7
57	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	603/22/9/2021	Sand	5.8	9.4	60	563.8	9280.0	8838.1	441.9
58	Susheel Singh Po Tundi	mnrega	258/21/10/2021	stone	3.0	4.9	60	291.6	4500.0	4285.7	214.3
59	Susheel Singh Po Tundi	mnrega	259/21/10/2021	stone	3.0	4.9	60	291.6	4500.0	4285.7	214.3
60	Susheel Singh Po Tundi	mnrega	260/21/10/2022	stone	3.0	4.9	60	291.6	4500.0	4285.7	214.3
61	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	266/21/10/2021	Aggregate	15.0	24.3	60	1458.0	21000.0	20000.0	1000.0
62	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	266/21/10/2021	Sand	15.0	24.3	60	1458.0	24000.0	22857.1	1142.9
63	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	267/21/10/2021	Aggregate	20.0	32.4	60	1944.0	28000.0	26666.7	1333.3
64	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	267/21/10/2021	Sand	10.0	16.2	60	972.0	16000.0	15238.1	761.9
65	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	343/23/12/2021	Aggregate	15.0	24.3	60	1458.0	21000.0	20000.0	1000.0
66	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	343/23/12/2021	Sand	15.0	24.3	60	1458.0	24000.0	22857.1	1142.9
67	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	713/23/12/221	Aggregate	28.0	45.4	60	2721.6	39200.0	37333.3	1866.7
68	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	713/23/12/221	Sand	6.0	9.7	60	583.2	9600.0	9142.9	457.1
69	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	733/9/2/2022	Aggregate	11.0	17.8	60	1069.2	15400.0	14666.7	733.3
70	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	733/9/2/2022	Sand	5.0	8.1	60	486.0	8000.0	7619.0	381.0
71	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	270/22/10/2021	Aggregate	9.0	14.6	60	874.8	12600.0	12000.0	600.0
72	Susheel Singh Po Tundi	mnrega	271/22/10/2021	stone	4.0	6.5	60	388.8	4800.0	4571.4	228.6
73	Susheel Singh Po Tundi	mnrega	272/22/10/2021	stone	4.0	6.5	60	388.8	4800.0	4571.4	228.6
74	Susheel Singh Po Tundi	mnrega	273/22/10/2021	stone	4.0	6.5	60	388.8	4800.0	4571.4	228.6
75	Susheel Singh Po Tundi	mnrega	274/22/10/2021	stone	4.0	6.5	60	388.8	4800.0	4571.4	228.6
76	Susheel Singh Po Tundi	mnrega	275/22/10/2021	stone	4.0	6.5	60	388.8	4800.0	4571.4	228.6
77	Susheel Singh Po Tundi	mnrega	276/22/10/2021	stone	4.0	6.5	60	388.8	4800.0	4571.4	228.6
78	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	309/6/12/2021	Aggregate	10.0	16.2	60	972.0	14000.0	13333.3	666.7
79	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	309/6/12/2021	Sand	8.0	13.0	60	777.6	12800.0	12190.5	609.5
2022-23											
1	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	15TH FC	2/23.04.2022	STONE	8.0	18.0	80	1440.0	12800.0	12190.47619	609.5
2	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	15TH FC	7/27.4.2022	SAND	1.5	2.4	80	194.4	2812.5	2678.571429	133.9
3	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	15TH FC	7/27.4.2022	AGG	2.2	3.3	80	261.4	3483.0	3317.142857	165.9
4	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	15TH FC	7/27.4.2022	STONE	2.0	4.5	80	360.0	3200.0	3047.619048	152.4
5	SUNEET SINGH S/O CHATTAR SINGH	15TH FC	14/29.04.2022	STONE	2.6	5.9	80	469.8	4176.0	3977.142857	198.9
6	MAHAJAN TRADERS	15TH FC	16/29.04.2022	SAND	1.8	2.8	80	226.8	3281.3	3125	156.3
7	MAHAJAN TRADERS	15TH FC	16/29.04.2022	AGG	2.0	3.0	80	243.2	3240.0	3085.714286	154.3
8	SUNEET SINGH S/O CHATTAR SINGH	15TH FC	17/29.4.2022	STONE	3.0	6.8	80	540.0	4800.0	4571.428571	228.6
9	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	15TH FC	38/23.6.2022	SAND	2.0	3.2	80	259.2	3750.0	3571.428571	178.6
10	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	15TH FC	38/23.6.2022	AGG	1.2	1.7	80	139.8	1863.0	1774.285714	88.7
11	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	15TH FC	39/23.6.2022	SAND	3.0	4.9	80	388.8	5625.0	5357.142857	267.9
12	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	15TH FC	39/23.6.2022	AGG	6.0	9.1	80	729.6	9720.0	9257.142857	462.9
13	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	15TH FC	40/23.06.2022	SAND	2.0	3.2	80	259.2	3750.0	3571.428571	178.6
14	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	15TH FC	40/23.06.2022	AGG	1.2	1.7	80	139.8	1863.0	1774.285714	88.7
15	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	15TH FC	59/29.7.2022	STONE	3.3	7.4	80	594.0	4950.0	4714.285714	235.7
16	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	GEN	10/23/05/2022	SAND	5.0	8.1	80	648.0	9375.0	8928.571429	446.4
17	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	GEN	10/23/05/2022	Agg	5.0	7.6	80	608.0	8100.0	7714.285714	385.7
18	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	GEN	37/30/09/2022	SAND	12.0	19.4	80	1555.2	22500.0	21428.57143	1071.4
19	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	GEN	37/30/09/2022	AGG	12.0	18.2	80	1459.2	19440.0	18514.28571	925.7
20	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	SABHA NIDHI	9/23.05.2022	SAND	2.4	4.0	80	316.2	4575.0	4357.142857	217.9
21	M/S MAHINDER SINGH VPO TUNDI	SABHA NIDHI	9/23.05.2022	AGG	3.1	4.7	80	372.1	4957.0	4720.952381	236.0
22	SUNEET SINGH S/O CHATTAR SINGH	SABHA NIDHI	14/1.07.2022	STONE	3.3	7.4	80	594.0	4950.0	4714.285714	235.7
23	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	831/28/3/2022	Aggregate	14.0	22.7	60	1360.8	19600.0	18666.7	933.3
24	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	757/14/3/2022	Aggregate	18.0	29.2	80	2332.8	25200.0	24000.0	1200.0
25	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	757/14/3/2022	sand	15.0	24.3	80	1944.0	24000.0	22857.1	1142.9
26	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	758/14/3/2022	Aggregate	16.0	25.9	80	2073.6	48860.0	46533.3	2326.7
27	Suneet Singh Po Tundi	mnrega	380/21/3/2022	stone	4.0	6.5	80	518.4	4800.0	4571.4	228.6
28	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	831/28/3/2022	Sand	8.5	13.8	80	1101.6	13600.0	12952.4	647.6
29	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	833/28/3/2022	Aggregate	8.0	13.0	80	1036.8	11200.0	10666.7	533.3
30	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	833/28/3/2022	Sand	4.0	6.5	80	518.4	6400.0	6095.2	304.8

21

31	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	826/28/3/2022	Aggregate	10.0	16.2	80	1296.0	14000.0	13333.3	666.7
32	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	826/28/3/2022	Sand	5.0	8.1	80	648.0	8000.0	7619.0	381.0
33	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	825/28/3/2022	Aggregate	10.0	16.2	80	1296.0	14000.0	13333.3	666.7
34	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	825/28/3/2022	Sand	5.0	8.1	80	648.0	8000.0	7619.0	381.0
35	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	827/28/3/2022	Aggregate	1.5	2.4	80	194.4	2100.0	2000.0	100.0
36	Jariyal goods Carrier PO Tundi	mnrega	827/28/3/2022	Sand	8.5	13.8	80	1101.6	13600.0	12952.4	647.6
Total				TOTAL				87208.9	1230086.8	1171511.2	58575.6

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal

Rate of Royalty is taken Rs 80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining

Conversion Factor

2 A. From Square Feet to Cubic Meter M3

35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M³)

Common to all items Sand, Stone & Aggregate

3 B. From Cubic Meter (M³) to Tonne

One Cubic Meter (M³) Sand

1.62

One Cubic Meter (M³) Aggregate

1.52

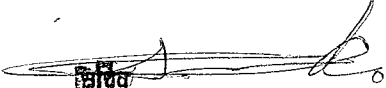
One Cubic Meter (M³) Stone

2.24

4 All items Sand, Stone & Aggre. average weight are taken for conversion while cubic meter to tonne.

5 As per quotation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

6 stone taken in nos. so 100 nos. stone equal to 1 m3


सिद्धि
 ग्राम पंचायत दुण्डी तालुका खण्ड
 भद्रियात जिला चम्पा 820 00

27